



डॉ० अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 10.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

**प्रेस नोट दिनांक 10.02.2026**

**थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़**

**जिला बदर अवधि का उल्लंघन करने वाला अपराधी गिरफ्तार**

आज दिनांक 10.02.2026 को उ०नि० जफर अयूब मय हमराह को सूचना मिली कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा 06 माह के लिये जिला बदर अपराधी ओमप्रकाश निषाद पुत्र रामपूजन निषाद नि० ग्रा० वैशपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ जो ग्राम वैशपुर, आजमगढ़ में निवास कर रहा है को समय करीब 12:45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु०अ०सं० 57/26 धारा 10 उ०प्र० गुण्डा नियन्त्रण अधि० 1970 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-** ओमप्रकाश निषाद पुत्र रामपूजन निषाद नि० ग्रा० वैशपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष

**पूर्व का आपराधिक इतिहास-**

1. मु० अ०सं०-387/2023, धारा 323, 504, 506, 452 व 34 भा०द०वि० थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं०-394/2023, धारा 147, 148, 149, 332, 336, 353, 427, 323, 504, 506 व 34 भा०द०वि०, 7. सी०एल० एक्ट व 3/5 सार्व० सं०नु०नि० अधि० थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
3. मु०अ०सं०-395/2023, धारा 504, 506, 452, 342, 427 व 34 भा०द०वि० व 7 सी०एल० एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
4. मु०अ०सं०-425/2023, धारा 323, 504, 325 व 34 भा०द०वि० थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -**

1. उ०नि० जफर अयूब थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. का० धन्नु यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

**प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 10.02.2026 जनपद आजमगढ़**

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 7000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अवैध नशीला पदार्थ (गांजा) रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 7000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

→ दिनांक- 10.01.2014 को वादी मुकदमा व०उ०नि० श्री विनोद कुमार सोनकर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त पिन्टू पुत्र सरजू दीन निषाद निवासी लखनडीह थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ 1.1 किलो गांजा बरामद होना।

- अभियुक्त के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 19/2014 धारा-8/22 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
- अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
- जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
- जिसके क्रम में दिनांक- 10.02.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पिन्टू पुत्र सरजू दीन निषाद निवासी लखनडीह थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 7000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

### प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 10.02.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्षन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 07 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा गोवध नि0 अधि0 के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को जेल में बितायी गयी अवधि 18 दिवस के कारावास व 1-1 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना रानी की सराय में पंजीकृत अपराध जिसमें गोवध नि0 अधि0 के 07 आरोपी अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि 18 दिवस के कारावास व 1-1 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

→ दिनांक- 26.10.2002 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष श्री रमाकान्त पाण्डेय थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. सत्य नारायण पुत्र राम इकबाल यादव 2. बब्बन यादव पुत्र राम इकबाल यादव 3. शिव यादव पुत्र श्री किशुन यादव निवासीगण पिपरा कला थाना खेजुरी जनपद बलिया 4. धनीराम पुत्र सुखनन्दन यादव निवासी पटपर थाना खेजुरी जनपद बलिया 5. राम प्रकाश पुत्र नन्द किशोर यादव निवासी खड़सरा थाना खेजुरी जनपद बलिया 6. बृजलाल यादव पुत्र राम बहाल यादव निवासी गुलरवास थाना खेजुरी जनपद बलिया 7. सुखराज यादव पुत्र बासदेव यादव निवासी पटपर थाना खेजुरी जनपद बलिया के कब्जे से गोवंशीय पशु बरामद होना ।

→ अभियुक्त के विरूद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0- 288/2002 धारा-3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।

→ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

→ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।

→ जिसके क्रम में दिनांक- 10.02.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सत्य नारायण पुत्र राम इकबाल यादव 2. बब्बन यादव पुत्र राम इकबाल यादव 3. शिव यादव पुत्र श्री किशुन यादव निवासीगण पिपरा कला थाना खेजुरी जनपद बलिया 4. धनीराम पुत्र सुखनन्दन यादव निवासी पटपर थाना खेजुरी जनपद बलिया 5. राम प्रकाश पुत्र नन्द किशोर यादव निवासी खड़सरा थाना खेजुरी जनपद बलिया 6. बृजलाल यादव पुत्र राम बहाल यादव निवासी गुलरवास थाना खेजुरी जनपद बलिया 7. सुखराज यादव पुत्र बासदेव यादव निवासी पटपर थाना खेजुरी जनपद बलिया को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को जेल में बितायी गयी अवधि 18 दिवस के कारावास व 1-1 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।